लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 062/2023 (GCMS 2023/238)	दायर दिनांक 16.08.2023	निर्णय दिनांक 06.09.2023

अनवान

रामलाल पिता कालुलाल गुर्जर निवासी वासुदेव भवन के पीछ मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 10.07.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./062/2023(सू.अ.)(06.09.2023)/563 दिनांक 16.082023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 06.09.2023 को अपील अपीलार्थी स्वयं हाजिर आये एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर का पत्र क्रमांक 46 दिनांक 17.08.2023 का प्राथर्भ को दिनांक 04.09.2023 को दस्ती

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से प्राप्त हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई गई है वह तथ्यों से परे व गलत सूचनाएं उपलब्ध कराई गई। प्रार्थी द्वारा ग्राम मण्फफिया की (साबिक) खसरा नंबर 607 (कालु गुर्जर पुत्र चतुर्भुज गुर्जर एवं नन्दलाल पुत्र लखा गुर्जर लक्ष्मण पुत्र लखा गुर्जर सा0देह खातेदार) से संबंधित वांछित सूचना चाही गई है। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2023 में बिन्दु संख्या 1 से 3 तक अंकित में से एक भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2023 में वर्णित वांछित सूचनाऐं आवेदन के अनुरूप, तथ्य परख पूर्ण स्पष्ट सही अतिशीघ्र एवं निःशुल्क दिलवाने का आदेश प्रदान करावें। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 28.08.2023 जो कि न्यायालय को दिनांक 31.08.2023 को प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से किसी भी प्रकार से कोई लिखित बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुये।

इस पर हमने पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हस्तगत प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर द्वारा किसी भी प्रकार से कोई लिखित टिप्पणी/अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात एवं हाजिर अपीलार्थी द्वारा किये गये कथनों से जाहिर होता है, द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत नियमानुार आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2023 मय आवेदन शुल्क भारतीय डाक आदेश संख्या **66 F 488056** तादादी रूपये 10/– अक्षरे दस रूपये मात्र जरिये रजिस्टर्ड डाक **RR 3624689736 IN** दिनांक 11.07.2023 को तहसीलदार भदेसर को प्रेषित किया गया है। भारतीय डाक आदेश एवं पोस्टल रसीद की छाया प्रति अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गई हैं, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर का नियमानुसार आवेदन प्रेषित किया जाना प्रमाणित कराया गया हैं, एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 16.08.2023 को प्राप्त हुआ है। हाजिर अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर द्वारा पत्रांक 46 दिनांक 17.08.2023 जो अपीलार्थी को दिनांक 04.09.2023 को दस्ती दिया गया हैं में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई गई वह तथ्यों से परे एवं गलत सूचना उपलब्ध कराई है। अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2023 में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से लगायत 03 तक में अंकित सूचना प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्राप्त आवेदन हेतु निर्धारित समायावधि में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर द्वारा अपीलार्थी के आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 10.07.2023 जो कि अपीलार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक **RR 3624689736 IN** के सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 11.07.2023 को प्रेषित किया गया है, बाबत् स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2023 से वांछित सूचना 10 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें।

निर्णय की प्रति मय अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2023 की प्रति के सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **06.09.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official